बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

I आदेश I

राज्य सूचना आयोग के पत्रांक–4079 दिनांक–24.04.2026 द्वारा वाद संख्या–A7243/2020 में दिनांक–10.04.2026 को पारित आदेश में श्री राहुल कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–404/2026, तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दाउदनगर, औरंगाबाद द्वारा अपीलार्थी को सम्बोधित ज्ञापांक–2032 दिनांक–03.09.2024 द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु सूचना विलम्ब से उपलब्ध करायी गयी है। इसके लिए श्री राहुल कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–404/2026, तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दाउदनगर, औरंगाबाद सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, विभागीय जांच, सीतामढ़ी को लिखित रूप से कड़ी चेतावनी संसूचित करने का निदेश इस विभाग को दिया गया है।

साथ ही यह भी निदेश दिया गया है कि विभाग के अपने अधीन सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को सख्त निर्देश लिखित रूप से निर्गत करें कि उनके सूचना प्रकोष्ठ में जितने भी सूचना के मांग के आवेदन लंबित है उनका निष्पादन वे अगले एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायें अन्यथा भविष्य में जो वर्तमान लोक सूचना पदाधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

राज्य सूचना आयोग के पत्रांक–4079 दिनांक–24.04.2026 द्वारा वाद संख्या–A7243/2020 में दिनांक–10.04.2026 को पारित आदेश की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा कि गई। समीक्षोपरान्त श्री राहुल कुमार, को कड़ी चेतावनी संसूचित करते हुए इस प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव श्री राहुल कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–404/2026, तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दाउदनगर, औरंगाबाद सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, विभागीय जांच, सीतामढ़ी को **कड़ी चेतावनी संसूचित** करते हुए इस प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

ह0/–

(राजीव कुमार तिवारी)
सरकार के अवर सचिव।

निबंधित/ स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–27/आरोप–01–11/2026 सा0प्र0 9716 **/पटना–15, दिनांक** 2.7.26

प्रतिलिपि–राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना/ श्री राहुल कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–404/2026, तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दाउदनगर, औरंगाबाद सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, विभागीय जांच, सीतामढ़ी /अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, 21 एवं आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/06/26
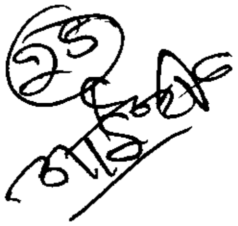
सरकार के अवर सचिव।